निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

116-जैतारण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री अविनाश

बेरा आकेलिया, जैतारण जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / सिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए है।

स्थान : पाली

दिनांक: 11 दिसम्बर, 2018

(मोहनलाल खटनावलिया) रिटर्निंग ऑफिसर

116—जैतारण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण)

> ्रा मेहनत्त्रत शहराहर्षक्ष है। १८ १० व्यक्तिक व्यक्ति ११६ व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्ति (१८१८ १० व्यक्ति व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्ति

Conduct of Election Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

Form 21 C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of

RAJASTHAN (State) From 116-JAITARAN Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that -

Mr. AVINASH of

BERA AKELIYA, JAITARAN Sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: PALI

Dated:11 December, 2018

(Mohan Lal Khatnawalia)

Returning Officer

116-Jaitaran Assembly Constituency

(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Jaitaran)

(Mohan lal Khathawa la) s Returning Officur

178 - JAITAR AN Legislative Assembly (Sub Divisional Officer & Sub Circsional Magazinale)